



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022022-233077
CG-DL-E-02022022-233077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]
No. 95]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2022/माघ 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022/ MAGHA 13, 1943

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय डाकघर नियम 1933 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय डाकघर नियम, 1933 की अनुसूची III में, क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी,

अर्थात्:-

"14ए	संयुक्त राज्य अमेरिका	515	80"
------	-----------------------	-----	-----

[फा.सं. आईआर-05/08/2021-आईआर]

प्रणय शर्मा, उप महानिदेशक (आईआर और जीबी)

टिप्पण: 1 जनवरी 1975 तक संशोधित मूल नियम, डाक और तार नियम पुस्तिका – भाग-1, विधायी अधिनियमन, भाग1, पांचवां संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 744 (अ), तारीख 27 नवम्बर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2022

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933, in Schedule III, after serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“14A	United States of America	515	80”.
------	--------------------------	-----	------

[F. No. IR-05/08/2021-IR]

PRANNOY SHARMA, Deputy Director General (IR&GB)

Note: The principal rules as amended up to the 1st January, 1975 were published in the Posts and Telegraphs Manual Volume – I, Legislative Enactments, Part I, Fifth Edition and last amended *vide* notification number G.S.R. 744 (E), dated the 27th November, 2020.